

(2)

पत्रा० पेश हुई। एडवोकेट, गंगापूर सिटी
 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी गिरजि की
 मृत्यु हो चुकी है। प्रकरण में अब कोई कार्यवाही
 अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील खारिज
 की जागी है। पत्रावली फैसल नुमा होकर
 नंबर से कम हो एवं बाद तक मील जमा
 जिला कमिश्नर कार्यालय हो। जिसका अधीनस्थ
 कार्यालय गिजवाई जावे।

(Signature)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
 अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
 गंगापूर सिटी (स०मा०)